


तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20/7/22 पत्रावली पेश हुई वकील पदकारान उप  
ई पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
प्रार्थना पत्र में विगत लगभग 10 वर्षों  
से तलबी पूरी नहीं हुई है अतः न्यायालय  
प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र को जैरकार  
रखना उचित नहीं समझता है अतः  
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया  
जाता है निर्णय खुले न्यायालय में  
सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील  
दाखिल दफ्तर है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बैतवा (बून्वी)

